डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई

व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उनवान खैमचंद बनाम अलीशेर वगै0

दावा बाबत् ,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 124 / 2022

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व मिनजानिब मुद्दइ व .... डिकरी दी जाती है कि

अतः आदेश है कि वादीगण के विवादित आराजी खसरा नंबर 250 रकबा 0.06 है0 वाके पींगौरा तहसील नदबई पर असल प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को जरिए हुक्म इम्तनाई दमामी की डिक्री पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी में कब्जेकाश्त में किसी प्रकार का मदाखलत मजाहमत नहीं करें, जबरन कब्जा नहीं करे एवं पुख्ता निर्माण नहीं करने एवं वादीगण को कब्जेकाश्त से बेदखल नहीं करने हेतु पाबंद किया जाता है।

खर्चा इस मुकदमें के मयसुद बैज – मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – – की अदा करें व शरह ——————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक —————— ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 17/03/2025 को जारी की गई ।

दस्तखत —————— 17/3/25

सहायक कलक्टर नदबई जिला भरतपुर

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:43:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

1. खैमचंद शर्मा पुत्र छीतरमल जाति ब्राह्मण निवासी पींगौरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. दिनेश चंद शर्मा पुत्र छीतरमल जाति ब्राह्मण निवासी पींगौरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. रमाकांत पुत्र छीतरमल जाति ब्राह्मण निवासी पींगौरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. कृष्णमुरारी पुत्र छीतरमल जाति ब्राह्मण निवासी पींगौरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. कुसुम पत्नी छीतरमल जाति ब्राह्मण निवासी पींगौरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादीगण

बनाम

1. अलीशेर पुत्र मदन जाति सक्का मुसलमान निवासी पींगौरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. गुलशेर पुत्र मदन जाति सक्का मुसलमान निवासी पींगौरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. पप्पन पुत्र मदन जाति सक्का मुसलमान निवासी पींगौरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. दौला पुत्र मदन जाति सक्का मुसलमान निवासी पींगौरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

—असल प्रतिवादीगण

6. लालाराम पुत्र नथंनी जाति ब्राह्मण निवासी पींगौरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

तरतीबी प्रतिवादी

17/3/25

सहायक कलक्टर

नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:43:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 124/2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/00241
किस्म दावा 188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक ....17/03/2025....

1. खैमचंद शर्मा पुत्र छीतरमल जाति ब्राह्मण निवासी पींगौरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. दिनेश चंद शर्मा पुत्र छीतरमल जाति ब्राह्मण निवासी पींगौरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. रमाकांत पुत्र छीतरमल जाति ब्राह्मण निवासी पींगौरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. कृष्णमुरारी पुत्र छीतरमल जाति ब्राह्मण निवासी पींगौरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. कुसुम पत्नी छीतरमल जाति ब्राह्मण निवासी पींगौरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादीगण

बनाम

1. अलीशेर पुत्र मदन जाति सक्का मुसलमान निवासी पींगौरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. गुलशेर पुत्र मदन जाति सक्का मुसलमान निवासी पींगौरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. पप्पन पुत्र मदन जाति सक्का मुसलमान निवासी पींगौरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. दौला पुत्र मदन जाति सक्का मुसलमान निवासी पींगौरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

—असल प्रतिवादीगण

6. लालाराम पुत्र नथंनी जाति ब्राह्मण निवासी पींगौरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

तरतीवी प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री सुरेशसिंह एड.(वादी की ओर से)

निर्णय दावा अंतर्गत धारा188 आर.टी.ए.

1. यह कि विवादित आराजी खाता संख्या 106 के खसरा नंबर 250 रकबा 0.06 है0 वाके मौजा पींगौरा तहसील नदबई में स्थित है। विवादित आराजी में वादीगण 1/2 हिस्से के व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 1/2 हिस्से के हाल रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज है। विवादित आराजी का संपूर्ण रकबा वादीगण के

17/3/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:43:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हिस्से में मनबट से आया हुआ है जिस पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं और असल प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का विवादित आराजी से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है तथा असल प्रतिवादीगण विवादित आराजी में न तो खातेदार है और न ही उनका कोई हिस्सा है तथा असल प्रतिवादीगण विवादित आराजी से चिपटैमा कोई कृषि भूमि नहीं है और न ही आराजी के नजदीक खातेदारी की भूमि है लेकिन असल प्रतिवादीगण दबंग व धनी लठैत किस्म के व्यक्ति हैं जो जबरन लठ्ठ के बल पर वादी के खातेदारी रकबा को कब्जा करने पर उतारू हैं तथा असल प्रतिवादीगण वादीगण को उनकी खातेदारी की भूमि पर काश्त नहीं करने देते हैं तथा खडी फसल को गाय भैंसों को चराकर बर्बाद कर देते हैं तथा पुख्ता निर्माण करने के फिराक में है जबकि कानूनन असल प्रतिवादीगण को वादी की खातेदारी की भूमि में ऐसा करने का कोई अधिकार हासिल नहीं है। असल प्रतिवादी द्वारा दिनांक 27.06.22 को धमकी दी की कि आराजी में वादीगण को काश्त नहीं करने देंगे तथा जबरन लठ्ठ के बल पर पुख्ता निर्माण कर अतिक्रमण कर लेंगे। अतः वादीगण असल प्रतिवादीगण को हुक्म इम्तनाई दमामी की डिक्री से पाबंद करा पाने के अधिकारी हैं।

2. यह कि अंत में वादीगण द्वारा प्रार्थना की कि प्रतिवादीगण को हुक्म इम्तनाई दमामी की डिक्री से पाबंद किया जावे कि विवादित आराजी खसरा ... में वादीगण के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत ... कब्जा नहीं करें एव पुख्ता निर्माण नही करें।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 तामील बाबजूद न्यायालय हाजा उपस्थित न होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2075–78 वाके ग्राम पींगौरा तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में खैमचंद शर्मा पुत्र छीतरमल जाति ब्राह्मण निवासी पींगौरा के बयान पेश किए गए।

प्रतिवादी द्वारा कोई भी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

17/3/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:43:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वादी के विद्वान अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि वादपत्र में दर्ज विवादित आराजी खसरा नंबर 250 रकबा 0.06 है0 वाके पींगौरा तहसील नदबई पर स्थित है विवादित आराजी में वादीगण 1/2 हिस्से के व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 1/2 हिस्से के हाल रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज है। विवादित आराजी का संपूर्ण रकबा वादीगण के हिस्से में मनबट से आया हुआ है जिस पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं और असल प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का विवादित आराजी से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है तथा असल प्रतिवादीगण विवादित आराजी में न तो खातेदार है और न ही उनका कोई हिस्सा है तथा असल प्रतिवादीगण विवादित आराजी से चिपटैमा कोई कृषि भूमि नहीं है और न ही आराजी के नजदीक खातेदारी की भूमि है। प्रतिवादीगण वादीगण की खातेदारी आराजी की भूमि में जबरन दखलदांजी करते हैं तथा अतिक्रमण कर पुख्ता निर्माण करने पर आमादा हैं। अतः वादी द्वारा स्वयं का शपथ पत्र भी पेश किया गया है। जो वादी के वादपत्र का समर्थन करता है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

अतः आदेश है कि वादीगण के विवादित आराजी खसरा नंबर 250 रकबा 0.06 है0 वाके पींगौरा तहसील नदबई पर असल प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को जरिए हुक्म इम्तनाई दमामी की डिक्री पाबंद किया जाता कि विवादित आराजी में कब्जेकाश्त में किसी प्रकार का मदाखलत नहीं करें, जबरन कब्जा नहीं करे एवं पुख्ता निर्माण नहीं करने एवं वादीगण को कब्जेकाश्त से बेदखल नहीं करने हेतु पाबंद किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.3.25 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

17/3/25
गंगाधर मीणा (R.A.S.)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर नदबई
नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:43:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner